न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	रजिस्टर्ड नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
16/45/2025	2025/25	08.01.2025	31.10.2025

1. सरकार जरिये तहसीलदार (भू0अ0) अलवर, जिला अलवर राज०।

—प्रार्थी

बनाम

1. कमलेश पत्नी सुरेशचन्द,
2. चम्पो पुत्री सुरेशचन्द,
3. जयनारायण पुत्र चिरंजी,
4. पुजा पुत्री सुरेशचन्द,
5. शिम्भुदयाल पुत्र चिरंजी,
6. समुन्दसिंह पुत्र सुरेशचन्द,
   समस्त जातियान नाई निवासीयान नाहरपुर तहसील व जिला अलवर।

—अप्रार्थीगण

अपील प्रार्थना पत्र जेर नियम 14 (4) भू—आवंटन नियम, 1970

उपस्थितः—
01—श्री दीपक मीणा, राजकीय अभिभाषक —वकील प्रार्थी
02— अप्रार्थीगण अनुपस्थित।

—:निर्णय:—

तहसीलदार अलवर ने जरिये राजकीय अभिभाषक यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—14 (4) भूमि आवंटन आदेश जिसके द्वारा अप्रार्थीगण के पक्ष में ग्राम नाहरपुर तहसील व जिला अलवर की आराजी खसरा न0 124 रकबा 0.11 है0 भूमि का आंवटन किया गया, से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है। प्रार्थना पत्र 14 (4) दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये कोर्ट नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण/अप्रार्थीगण अधिवक्ता अनुपस्थित। अप्रार्थीगण बावजूद विधिवत तामील न्यायालय में उपस्थित नहीं होने से अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है।

प्रार्थी की ओर से विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में प्रार्थना—पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि आराजी खसरा नंबर 124 रकबा 0.11 है0, भूमि वाके ग्राम नाहरपुर तहसील व जिला अलवर सन् 1970 के बाद अप्रार्थी को वास्ते कृषि कार्य के लिए आवंटन किया गया था। अप्रार्थी द्वारा उपरोक्त भूमि आवंटन होने के बाद आवंटन की शर्तों के मुताबिक अप्रार्थी द्वारा उसकी पालना नहीं की गई है ना ही आवंटी का आवंटन के समय कब्जा रहा है। जिस बाबत पटवारी हल्का देसूला की रिपोर्ट दिनांक 13.11.2024 से स्पष्ट रूप से जाहिर व साबित है कि मौके पर अप्रार्थी का कोई कब्जा काश्त नहीं है तथा ना ही मौके पर फसल पाई गई। अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि को आवंटन होने के बाद काम मे नहीं लिया गया है। जिससे अप्रार्थी द्वारा राज0 कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14 (4) के तहत निरस्त किया जाना अति आवश्यक है। पटवारी हल्का रिपोर्ट प्रार्थना पत्र के साथ सलग्न है।

प्रार्थना पत्र न्यायलय श्रीमान के सुनने योग्य है। अतः श्रीमान की सेवा में यह प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है की आवंटन सन् 1970 के बाद जो आवंटन अप्रार्थी को आराजी

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

खसरा नंबर 124 रकबा 0.11 है0 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम नाहरपुर का किया गया था, उसे निरस्त फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी की ओर से राजकीय अभिभाषक एवं अप्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अप्रार्थीगण बावजूद तामील अनुपस्थित। उपखण्ड अधिकारी अलवर द्वारा जारी आवंटन आदेश (नियम–15) से अप्रार्थीगण को आराजी खसरा नंबर 124 रकबा 0.11 है0 भूमि वाके ग्राम नाहरपुर का आवंटन किया गया। मुताबिक मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का देसूला दिनांक 13.11.2024 उक्त विवादित आवंटित आराजी खसरा नंबर 124 रकबा 0.11 हैक्टेयर के आवंटी/अप्रार्थीगण कमलेश देवी, चम्पो, जयनारायण, पुजा, शिम्भुदयाल, समुन्द्रसिंह सा0 देह गैर खातेदार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रिकॉर्ड है। पटवारी हल्का की दैनिक डायरी अनुसार उक्त आराजी पर मौके पर गैर खातेदारों का कब्जा नहीं होकर मकानात इत्यादि बने हुए हैं तथा आवंटन की शर्तों की पालना नहीं हो रही है। आवंटित भूमि पर संवत 2081 तक की गिरदावरी में कोई फसल का अंकन नहीं है एवं पड़त/बंजड़ भूमि दर्ज है। जिससे स्पष्ट है कि उक्त आवंटित आराजी खसरा नंबर 124 रकबा 0.11 है0, हैक्टेयर भूमि को अप्रार्थी/आवंटी द्वारा आवंटन के बाद से आदिनांक तक कृषि हेतु उपयोग में नहीं लिया गया है। अप्रार्थी द्वारा उपरोक्त भूमि आवंटन होने के बाद आवंटन की शर्तों के मुताबिक पालना नहीं की गई है ना ही आवंटी का आवंटन के समय से कब्जा रहा है। पटवारी हल्का रिपोर्ट एवं दैनिक डायरी से स्पष्ट है कि उक्त आराजी पर मौके पर अप्रार्थी गैर खातेदारों का कोई कब्जा काश्त नहीं है। इससे स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि को आवंटन होने के बाद काम में नहीं लिया गया है। अप्रार्थी द्वारा राजस्थान कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियमों की पालना नहीं की गई है। प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र नियम 14(4) भू0आवंटन नियम 1970 स्वीकार योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय का आवंटन आदेश निरस्त योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र नियम 14(4) भू0आवंटन नियम 1970 स्वीकार किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर द्वारा अप्रार्थीगण कमलेश देवी, चम्पो, जयनारायण, पुजा, शिम्भुदयाल, समुन्द्रसिंह को आवंटित की गई उक्त आराजी खसरा नंबर 124 रकबा 0.11 है0 की भूमि के आवंटन आदेश को निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 31.10.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)